

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

सहायक क्लर्क (नियम 26)

बायतु

ज अदालत.....

जिला-बाड़मेर

मुकाम.....

बनाम.....

सुनराय

रत. लीडा

किस्म मुकदमा.....

गोपनीय

86 File no. 293/2022 सन.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.22	<p>प्रार्थी/वकील/अपीलांत के वकील श्री..... ने यह प्रार्थना पत्र/बन्द्/अपील धारा..... राजस्थान कायदा/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पेण्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक.....को पेश हो।</p>	उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर
18/10/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार गिडरा का नोटिस तामील खुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी की चुलताप द्वारा उपस्थित डॉक्टर होने के कारण में साथ-साथ उत्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पाल्से वदस पत्रावली दिनांक- 27/10/2022 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर</p>	3.10.22 सुनराय

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/10/2022

प्राथमिक पडल उपरिमत। प्राथमिक पडल
 द्वारा दस्तावेजों की सूची मसल नोटिस
 द्वारा 91 जो लक्ष्मीलगाह गिरा द्वारा दिया गया।
 सन् 2012 से 2015 व 2017 से 2019 की मसल
 उपरिलिखी फेरा की गई जिसे शामिल पत्रावली
 दिया गया। प्राथमिक के अधिकार की वदल
 सुनी गई प्राथमिक द्वारा उपरुत वापश-पत्र व
 प्राथमिक द्वारा उपरुत दस्तावेज तथा पत्रावली
 के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड का प्रबलौडन
 दिया गया बाद प्रबलौडन प्राथमिक का
 आवेदन स्वीकार दिया जाउर प्राथमिक मल)
 से लिया जाउर शामिल पत्रावली दिया
 गया। पत्रावली मसल शुमा होउर इज
 नम्बर से उम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बापतु
 जिला बापतु

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या- 393/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुतराराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी दर्जियों की बेरी, लापुन्दडा, तहसील गिड़ा, जिला बाडमेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

उपस्थित :-

1. श्री नरपत पूनड़ प्रार्थीगण वकील

-: आदेश :-

दिनांक : 27.10.2022

प्रार्थीगण ने यह रिव्यू प्रार्थना अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की मौजा दर्जियों की बेरी पटवार मण्डल लापुन्दडा बारठान तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 535 रकबा 10.00 बीघा किस्म बारानी सोयम पर कब्जा काशत है। उक्त भूमि राजकीय होने के कारण प्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई एवं संवत् 2068 से आज दिनांक तक प्रार्थीगण का अतिक्रमी के रूप में उक्त भूमि पर कब्जा काशत रहा है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा उद्घोषणा अतिक्रमी काशतकारों के नियमन करने की जारी की गई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा नियमन हेतु आवेदन पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा तहसीलदार गिड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई तथा नियमन कमेटी के समक्ष प्रकरण को रख कर आदेश क्रमांक राजस्व/2022/11 दिनांक 20.06.2022 द्वारा प्रार्थीगण के संवत् 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2077 में अतिक्रमी व कब्जा काशत नहीं होने का हवाला देते हुए, आवेदन को खारिज कर दिया। जबकि प्रार्थीगण का संवत् 2068 से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काशत है। इस प्रकार प्रार्थीगण के संवत् 2068 से आज दिनांक तक अतिक्रमी व कब्जा काशत होने के बावजूद भी पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों व कानूनी बिन्दु पर मनन नहीं करते हुए प्रार्थीगण का नियमन आवेदन खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा मौजा दर्जियों की बेरी पटवार मण्डल लापुन्दडा बारठान तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 535 रकबा 10.00 बीघा का नियमन करने का रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया। साथ ही रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने की देरी को माफ करने हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश कर, उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को सदभावी भूल मानते हुए एवं इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

रिव्यू प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, विप्रार्थी तहसीलदार गिड़ा को सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार गिड़ा का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे के संबंध में शपथ पत्र व तहसीलदार गिड़ा द्वारा सन् 2012 से 2015 व 2017 से 2019 असल नोटिस जो भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रार्थीगण को दिये गये, पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा दर्जियों की बेरी पटवार मण्डल लापुन्दडा बारठान तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 535 रकबा 10.00 बीघा सरकारी भूमि पर प्रार्थीगण का संवत् 2068 से आज दिनांक तक कब्जा काश्त होने व राजस्थान सरकार के विभागीय आदेश क्रमांक प.6(44)राज-6/2021/22 जयपुर दिनांक 06.12.2001 के अनुसार प्रार्थीगण पात्रता रखने के बावजूद भी उक्त भूमि का प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन नहीं किया जाकर, प्रार्थीगण का नियमन आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू आवेदन स्वीकार कर आदेश क्रमांक राजस्व/2022/11 दिनांक 20.06.2022 को निरस्त किया जाकर, मौजा दर्जियों की बेरी पटवार मण्डल लापुन्दडा बारठान तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 535 रकबा 10.00 बीघा भूमि का नियमन प्रार्थीगण के नाम से करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, कानूनी बिन्दु व प्रार्थीगण द्वारा नियमन हेतु पेश की गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौजा दर्जियों की बेरी पटवार मण्डल लापुन्दडा बारठान तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 535 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर संवत् 2068 से 2071, संवत् 2073 से 2076 का कब्जा काश्त प्रमाणित है एवं संवत् 2072 व 2077 में कब्जे के संबंध में शपथ पत्र पेश किये गये हैं। चूंकि इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के नैसर्गिक अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण के नैसर्गिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-4) विभाग के क्रमांक.प.6(6)राज.-6/97पार्ट जयपुर दिनांक 22.09.2022 के अनुसरण में प्रार्थीगण का रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद स्वीकार किया जाकर मौजा दर्जियों की बेरी पटवार मण्डल लापुन्दडा बारठान तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 535 रकबा 5.00 बीघा भूमि के नियमन के संबंध में जारी किये आदेश क्रमांक राजस्व/2022/11 दिनांक 20.06.2022 को निरस्त किया जाकर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नियमन पत्रावली को पुनः दर्ज नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, पत्रावली नियमन पत्रावली के संलग्न रहें।

आदेश आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला-बाडमेर